न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

III/ निगरानी/ दतिया/ भू.रा/2017/6067

रामसिया पुत्र रतीराम कुशवाह निवासी ग्राम ग्यारा तहसील सेंवढ़ा जिला दतिया म0प्र0

———आवेदकगण

बनाम

1. धरमसिंह पुत्र लालसिंह कुशवाह
2. बदनसिंह पुत्र चिन्तामन कुशवाह
3. अरविन्द ना.वा. संरक्षक जमुनादेवी
4. पप्पू ना.वा. संरक्षक जमुनादेवी
5. जगदीश पुत्र धल्ले कुशवाह

निवासी गण ग्राम ग्यारा तहसील सेंवढ़ा जिला दतिया म0प्र0

———अनावेदकगण

Sitendra Singh Thakur द्वारा दि. 11/12/17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. सेंवढ़ा के प्रक. 72/2016—17/अपील में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेष है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है, कि, स्थित भूमि ग्राम ग्यारा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया में है। आवेदक एवं अनावेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क. 801 रकवा 0.29 हें., सर्वे क. 804 रकवा 0.15 हें., सर्वे क. 810 रकवा 0.14 हें., सर्वे क. 856 रकवा 0.12 हें., सर्वे क. 862 रकवा 0.12 हें., कुलकिता 5 कुल रकवा 0.82 हें. लगान 1.70 रूपये स्थित ग्राम ग्यारा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया में स्थित है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 6067

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
23.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेंबढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 72 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 03 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 3 / 19 कलेक्टर जिला दतिया	